

कापिकोटी के मुख्य बरसे का निवेदन बिधा ।
वही का प्रमाण को एक लश्का कापिकोटी निरस्त
छिपे जाने पर गेड़ी आपत्ति न होने के कारण
निवेदन स्वीकार किया जाकर कालावनामा २१०
पत्रां बिधा । पत्रावली वाले तलकी एवं जवाब
अतिवदि दिनांक १९.११.२०२५ को पेश थे ।

१५.१०.२५ पत्रावली पेश । कडुवाले नरीमन उप० एवं
सस्ता, पेशेवर उप० । प्रविषति नं. ४, ९, १३,
१५ व १७ की कोर से वहील की पुनर्विलोकन
संबंधे कडुवाले द्वारा कालावनामा पेश किया
था, जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।
पत्रावली वाले तलकी एवं जवाब दिनांक १९.११.२५
को पेश थे ।

१९.११.२५ पत्रावली पेश । अभिभाषक वारी उप० एक प्राथमिक
पत्र इस आरथ का पेश किया कि वे इस वार्ड को
चिद्रो कर पुनः नया वार्ड पेश करना चाहते हैं ।
वारी का उद्धान है कि इस वार्ड में मिफिरीय एवं
मु. नूनी चुटियाँ हैं। अतः वे इस वार्ड को चिद्रो
करना चाहते हैं ।

अभिभाषक वारी के प्राथमिक पत्र की
प्रति प्रतिवारी अहिषकता को दिलाई जिस पर
उन्होंने अपनी अनापत्ति बाहिर की। अतः प्राथमिक
वारी चिद्रो किए जाने से खारिज किया जाता है।
वारी का पुनः वार्ड पेश करने का अधिकार सुरक्षित
रहेगा। पत्रावली फेंसल शुभार होकर वार्ड तलकील
नम्बर से कम होकर हाथिल रहता रहेगा।

अपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)